कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) भोपाल म.प्र.

क्रमांक / /एस.जे.एस.आर.वाई/2011–12 भोपाल, दिनांक : .2011

<u>एस.जे.एस.आर.वाय. प्रशिक्षण कार्य हेतु</u>

प्रस्ताव आमत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत भोपाल जिले के नगरीय निकायो में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 60 प्रतिशत रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त के साथ विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, इसके लिये मान्यता प्राप्त सक्षम विगत 5 वर्ष से कार्यरत संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है । विस्तृत आवेदन प्रपत्र एवं शर्तो की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के कलेक्टोरेट भोपाल स्थित कार्यालय कक्ष क्रं 135) से कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त की जा सकती है ।

आवेदन प्रपत्र वेबसाईट bhopal.nic.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है। प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 5 जून, 2011 के अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते है । प्रस्ताव के साथ रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा । आवेदन निकायवार प्राप्त किये जावेगे। एक संस्था केवल एक ही निकाय में आवेदन कर सकती है ।

परियोजना अधिकारी,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कक्ष क्रं. 135, कलेक्टर कार्यालय,
भोपाल.
कार्या. दूरभाष क्रं. 07552540395

स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक अन्य शर्तें

1. स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्य चयनित ट्रेडस में संलग्न सूची अनुसार ही प्रदान किया जाना है इसके अतिरिक्त एन.सी.व्ही.टी. में प्रावधानित ट्रेडो में बाजार की मांग के अनुसार ट्रेनिंग प्रस्तावित की जा सकती है ।
2. प्रशिक्षण भोपाल जिले की मान्य गरीबी रेखा की सर्वे सूची 2006 में सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को ही प्रदान किया जाना है। पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों को पुनः प्रशिक्षण नही दिया जावेगा ।
3. प्रशिक्षण कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाईन अनुसार भुगतान किया जावेगा । प्रति हितग्राही प्रतिमाह अधिकतम रूपये 1500/– व्यय किया जाना है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को स्टायफण्ड, कच्चामाल, प्रशिक्षक का मानदेय, विविध स्टेशनरी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं प्रशिक्षण संबंधित समस्त व्यय सम्मिलित है। भारत सरकार की गाईड लाइन अनुसार प्रशिक्षण हेतु कक्षा का आकर अधिकतम 40 हितग्राहियों का होगा ।
4. ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा उसके पाठ्यक्रम की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. चयनित संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का पता, हितग्राहियों की सूची, प्रशिक्षण प्रारंभ करने का दिनांक, प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षक का नाम एवं योग्यता मो. न. आदि की जानकारी जिला शहरी विकास अभिकरण में प्रस्तुत करेगें इसके उपरांत ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया जावे।
6. प्रशिक्षण कार्य आवंटन होने के बाद संस्था को 15 दिवस के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा । निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
7. प्रशिक्षण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 03 (तीन) किश्तों में 40–40 एवं 20 प्रतिशत में प्रदान किया जायेगा। पृथम किश्त चयनित संस्थाओं को स्वीकृत आदेश के साथ प्रशिक्षण शुरू होने के उपरांत प्रदाय की जावेगी । द्वितीय किश्त प्रथम

किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र, देयक प्रस्तुत करने एवं निकाय के प्रभारी अधिकारी योजना प्रकोष्ठ नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सी.डी. एस. द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी ।

8. प्रशिक्षण कार्य हेतु संलग्न संस्था द्वारा 60 प्रतिशत हितग्राहियों का रोजगार/स्व रोजगार नही करने या अनुबंध की शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में संस्था को देय अंतिम किश्त की राशि एवं अमानत राशि का भुगतान नही किया जावेगा एवं आगामी वर्षो में प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था को सम्मिलित नही किया जावेगा ।

9 प्रशिक्षण स्थल संस्था का स्वयं/किराया का होगा स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संबंधित निकाय का भवन प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो वर्तमान वित्तीय सत्र में प्राप्त किया गया हो लगाना होगा । योजना का नाम (एस.जे.एस.आर.वाई.) प्रशिक्षण ट्रेड्स, प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण संस्था का पूरा नाम का स्पष्ट बोर्ड/ बैनर लगाकर रखना होगा जिससे संचालित प्रशिक्षण कार्य की जानकारी आस–पास सभी लोगों को हो सके।

10. प्रशिक्षणार्थियों का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर प्रशिक्षण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं उपस्थिति रजिस्टर की फोटो कापी प्रत्येक अनुदान मांग पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका निरीक्षण के दौरान जॉच की जावेगी ।

11. प्रशिक्षण कार्य हेतु व्यय की गई सामग्रियों का एवं कच्चे माल से निर्मित सामग्रियों का स्पष्ट लेखा–जोखा स्टाक पंजी में संधारित किया जावेगा तथा प्रशिक्षण के अंत में बनी सामग्री एवं अभिलेखो की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

12. कुल प्रशिक्षित हितग्राहियों में से 60 प्रतिशत हितग्राहियों को रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध करवाने के सक्षम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत अंतिम किश्त का भुगतान किया जावेगा ।

13. प्रशिक्षण हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त की मांग के समय व्यय राशियों के टीन/पेन न. अंकित देयक की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। जिला शहरी

विकास अभिकरण से द्वितीय किश्त की मांग के समय हितग्राहियों की सूची एवं व्यय राशि का देयक की छायाप्रति भेजेंगे।

14. प्रशिक्षण कार्य के दौरान समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी एवं प्रशिक्षणार्थियों की संतुष्टि व प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मुआयना किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर स्वीकृत प्रशिक्षण कार्य निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात हो जावेगी एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

15. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार/ऋण उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी । आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ऋण प्रकरण तैयार करने की जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी यह कार्य संस्था संबंधित वार्ड के सी.ओ. से समन्वय स्थापित कर पूर्ण करेंगे।

16. प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रस्ताव के साथ 10000/–(रू दस हजार) रूपये की डी. डी. संस्थाओं को अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी इसके साथ ही स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा जो अंतिम किश्त के भुगतान के बाद प्रदाय की जावेगी । डिमान्ड ड्राफ्ट परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल के नाम से संलग्न करना होगा। अमानत राशि प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपादित करने पर अंतिम किश्त के भुगतान के बाद दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा ।

17. म.प्र. फर्म एवं सोसायटी में पंजीकृत संस्था को धारा 27 एवं 28 में नवीनतम प्रबंध कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची जो वर्तमान वित्तीय सत्र की होगी। प्रमाणित सूची संलग्न न होने की स्थिति मे आवेदन पत्र स्वतः अस्वीकृत माना जावेगा ।

18. संस्थाओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम के न्यूनतम 1 घंटा अधिकतम 2 घंटे की सी. डी. तैयार कर अंतिम किश्त के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

19. संस्थाएं सी.डी.एस./डूडा द्वारा चयनित बी.पी.एल. हितग्राहियों की सूची संबंधित सामुदायिक विकास समिति से प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करायेगी। संस्था स्वयं भी बी.पी.एल. हितग्राहियों का चयन कर सकती है परन्तु इसका अनुमोदन डूडा/सी.डी.एस. से कराना होगा एवं हितग्राहियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि पूर्व में एस.जे.एस.आर.वाय. प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है ।

20. किसी भी संस्था को प्रशिक्षण कार्य स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला शहरी विकास अभिकरण के पास सुरक्षित है। किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में कलेक्टर/ अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होकर बंधनकारी होगा।

21. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संस्थाओं के आवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल में जमा किये जावेगे। निर्धारित अवधि उपरांत एवं अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिये जावेगें । आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में अमान राशि राजसात की जा सकती है। अतः आवेदन पत्र का प्रत्येक कालम पूरी तरह भरा जावे।

22. संस्था को विगत 5 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (आय व्यय का लेखा) संलग्न करना होगा । संस्था कम से कम 5 वर्षो से पंजीकृत होना चाहिए एवं विगत 3 वर्षो में संस्था का कुल टर्नओवर परिशिष्ठ 'अ' में प्रदर्शित ट्रेडो के क्र. 1 से ..7.. तक कम से कम 20 लाख रू एवं क्र. 8.से 15 तक 10 लाख रूपये एवं क्र. 16.से 26तक कम से कम 5 लाख रूपये होना आवश्यक है इसके समर्थन में संस्था के आडिट रिपोर्ट के साथ साथ केश बुक एवं लेजर बुक भी प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा ।

23. उपरोक्त शर्तो के अनुरूप ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेगें । उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन न करने पर आवेदन स्वीकार नही होगा । प्रशिक्षण कार्य हेतु समय–समय पर लिये गये निर्णय आवेदक संस्था को मान्य होगें ।

24 तकनीकी रूप से पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जा सकता है, इसके लिये संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तावित ट्रेडो में प्रशिक्षण के माडयूल,

प्रशिक्षण हेतु संसाधन, प्रशिक्षक की योग्यता, प्रशिक्षण के प्रमाणिकरण, विगत वर्षो में प्रशिक्षण का अनुभव एवं प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होना होगा ।

25. विगत वर्ष में डूडा से प्रशिक्षण कार्य प्राप्त संस्थाओं को संबंधित निकाय/सामुदायिक समिति से प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में ''संतुष्टि प्रमाण पत्र'' आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

26. प्रशिक्षण के दौरान निर्मित सामग्री संस्था को जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय में जमा कराना होगा या विक्रय कर राशि डूडा में जमा करना होगा।

26. संस्था को देय अंतिम किश्त 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान निर्धारित 60 प्रतिशत हितग्राहियों को रोजगार से जोडने के पश्चात तथा इस आसय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा ।

प्रस्ताव क्रमांक...............

चैक लिस्ट

संस्था का नाम –

पूर्ण पता –

सम्पर्क नं. –

आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखो में पृष्ठ नं. अंकित करते हुये निम्नानुसार क्रम में अभिलेख संलग्न किये जावे एवं फाईल स्पायरल बाईडिंग कर प्रस्तुत करेगें –

क्र.	संलग्न अभिलेख का विवरण	पेज क्र. से	पेज .... तक
1.	बैक ड्राफ्ट (पिनअप किया हुआ जिसे सुगमतापूर्वक निकाल सके)		
2.	चैक लिस्ट		
3	आवेदन पत्र (मूल आवेदन पत्र)		
4.	संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र		
5	संस्था का ज्ञापन एवं नियमावली		
6	संस्था का विगत 3 वर्ष की आडिट रिपोर्ट		
7	धारा 27 एवं 28 की प्रमाणित प्रति		
8	संस्था का पूर्व कार्य अनुभव/कार्यादेश एवं प्रमाण पत्रों की प्रति		
9	संस्था के पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की सूची		
10	नगरीय निकाय से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण पत्र यदि विगत वर्षो में एस.जे.एस.आर.वाय. के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया है तो ।		
11	अन्य काई आवश्यक अभिलेख हो तो प्रस्तुत करें		

हस्ताक्षर/सील
अध्यक्ष/सचिव

स्वर्ण जयंती शहरी – स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव

आवेदन–पत्र वर्ष 2011–12

आवेदन पत्र का शुल्क 500/–

आवेदन पत्र क्र. .... रू.10000/– बैंक ड्राफ्ट क्र............. दिनांक..........

1. संस्था का नाम : ....
2. संस्था का पंजीयन क्रमांक : दिनांक...
3. संस्था का पंजीकृत पता : ....
   : ....
4. संस्था का कार्यालयीन पता : ....
   (अध्यक्ष/सचिव का मो.न./दूरभाष न.) : ....
5. संस्था का कार्यक्षेत्र : ....
6. प्रशिक्षण स्थल का पता : ....
7. संस्था का उददेश्य — संस्था के पंजीकृत नियमावली में रेखांकित कर उल्लेख करें कि संस्था के उद्देश्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्य शामिल है।
8. संस्था नियमितता हेतु म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत धारा 27 व 28 तथा प्रबंधकारिणी की प्रति वर्तमान वर्ष की संलग्न करें।
9. संस्था का विगत 5 वर्षों का आय–व्यय का विवरण :

वर्ष	पूर्व शेष	वर्ष में आय	वर्ष में व्यय	वर्ष का शेष
1	2	3	4	5
2008–2009				
2009–2010				
2010–2011				
योग	–			

उपरोक्त आय व्यय की पुष्टि हेतु संस्था की आडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

10. संस्था को अन्य विभाग/संस्थाओं से प्राप्त कार्यादेश/ कार्यानुभव का विवरण परिशिष्ट एक में संलग्न करें।

11. संस्था द्वारा वांछित प्रशिक्षण ट्रेड् का नाम, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षक संस्था के पास विद्यमान है।

प्रस्तावित प्रशिक्षण की आवश्यकता व रोजगार / मार्केटिंग क्षेत्र का एवं विगत 5 वर्ष में दिये गये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित हितग्राहियों का भी ब्यौरा देवे साथ ही रोजगार से जोडे गये हितग्राहियों की सूची संलग्न करें ।

....

....

....

....

12. प्रशिक्षण कार्य हेतु संस्था के पास विद्यमान संसाधन का विवरण :–

1. उपलब्ध स्थान/ स्वयं/किराये का :...................................... वर्गफिट
   पंजीकृत किरायानाम
   होने पर निकाय का भवन प्रमाण पत्र वर्ष 10–11 (खाका मानचित्र संलग्न करें)
   संलग्न करें।
2. फर्नीचर :......................................
3. औजार व मशीनरी उपकरण :......................................
4. बिजली, पानी :......................................
5. प्रशिक्षक का नाम : पूरा नाम फोटो एवं पता तथा योग्यता
   योग्यता, प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
   अनुभव के साथ फोटो

13. संस्था द्वारा 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) का संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–

बैंक का नाम	शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नं.	दिनांक

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि हमारी संस्था स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने हेतु सहमत हैं तथा सभी शर्तें स्वीकार्य हैं एवं इस आशय का प्रस्ताव संस्था द्वारा सर्वसम्मत से पारित की गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई, यदि ऐसा होना पाया जाता है तो उसके लिये मैं स्वयं एवं संस्था जिम्मेदार रहेगा/ रहेगी।

दिनांक : ....

संलग्न – संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों
की सूची पृथक से संलग्न करें।

सचिव संस्था की सील पते सहित	अध्यक्ष संस्था की सील पते सहित

परिशिष्ठ– ''अ''

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना– प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2010–11

भोपाल जिले मे प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार सूची

क्र.	ट्रेड का नाम	टर्न ओवर (लाख मे)
1	कम्प्यूटर से संबंधित ट्रेड	20
2	सुरक्षा गार्ड	20
3	कस्टमर केयर एक्सीक्यूटिव	20
4	हाउसकिपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट	20
5	रिटेल एक्सीक्यूटिव	20
6	हॉस्पिटेलिटी	20
7	नसिंग सहायक/वेड साइट असिस्टेंट	20
8	आर्टिफिशियल ज्वेलरी	10
9	इण्डस्ट्रीयल हैल्पर	10
10	मल्टीपरपस डोमेस्टिक इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग	10
11	ए.सी./रेफ्रिजरेटर मरम्मत	10
12	ब्यूटी पार्लर	10
13	गारमेंट मेकिंग	10
14	जरी कार्य	10
15	ड्रायवर ट्रेनिंग	10
16	मोबाइल मरम्मत	5
17	2 व्हीलर रिपेयरिंग	5
18	मेसन (स्किल अपग्रेडेशन हेतु)	5
19	सिलाई, कढाई	5
20	मोटर वाइडिंग	5
21	घरेलू वायरिंग फिटिंग	5
22	प्लम्बर	5
23	कारपेन्टर	5
24	पी.ओ.पी. कार्य/टेराकोटा	5
25	सेनेटरी नेपकीन निर्माण	5
26	स्टील फैब्रिकेशन	5

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
भोपाल

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) भोपाल

संक्षेपिका

प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

1. : बी.पी.एल. हितग्राहियों के लिये एस.जे.एस.आर.वाय.में प्रशिक्षण कार्यक्रम में 75 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों के लिये रोजगार उपलब्ध कराना। इसके लिये अनुबंध का प्रावधान वर्ष 2010–11 से किया गया है। इस वर्ष भी इसी अनुरूप में अनुबंध निस्पादन किया जावेगा।

2 : 5 वर्ष पुरानी संस्थाये ही आवेदन कर सकेगी ।

3. : कक्षा का अधिकतम आकार 40 हितग्राहियों का होगा ।

4 : संस्थाओं को जिस ट्रेड में प्रशिक्षण देना होगा उसका पाठ्यक्रम एन.सी.वी.टी. के मापदण्ड के अनुरूप होगा ।

5 : प्रथम किश्त प्रशिक्षण प्रारंभ की सूचना के बाद एवं द्वितीय किश्त निकाय क्षेत्राअंतर्गत सी.एम.ओ./सी.डी.एस. द्वारा अनुसंशित उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर द्वितीय किश्त दी जावेगी ।

6 : तृतीय किश्त का भुगतान 75 प्रतिशत हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं नियोक्ता से प्राप्त प्रामण पत्र के आधार पर किया जावेगा ।

7 : उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने पर जमा अमानत वापस की जावेगी।

8. : प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात की जावेगी ।

9 : प्रशिक्षण कार्यकम के लिये 10000/– की डीडी अमानत के तौर पर जमा करनी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा । उक्त राशि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करने पर दी जावेगी ।

10 : संस्था को धारा 27 के तहत नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची फर्म सोसायटी से प्राप्त कर एवं धारा 28 के साथ संलग्न करना होगा ना करने पर एवं अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

11 : प्रशिक्षण कार्यक्रम की सी.डी. तृतीय किश्त के भुगतान के समय प्रस्तुत करनी होगी ।

12 : ट्रेड की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

13 : स्वीकृत संस्थाओं से किया जाने वाला अनुबंध का प्रारूप संलग्न है ।

परिशिष्ठ– ''अ''

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना– प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2010–11

भोपाल जिले मे प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार सूची

क्र.	ट्रेड का नाम	शिक्षा	आयु
1	कम्प्यूटर से संबंधित ट्रेड	12 वी	18 से 45 वर्ष
2	सुरक्षा गार्ड	10 वी	18 से 45 वर्ष
3	कस्टमर केयर एक्सीक्यूटिव	10 वी	18 से 45 वर्ष
4	हाउसकिपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट	10 वी	18 से 45 वर्ष
5	रिटेल एक्सीक्यूटिव	10 वी	18 से 45 वर्ष
6	हॉस्पिटेलिटी	10 वी	18 से 45 वर्ष
7	नर्सिंग सहायक/वेड साइट असिस्टेंट	10 वी	18 से 45 वर्ष
8	आर्टिफिशियल ज्वेलरी	10 वी	18 से 45 वर्ष
9	इण्डस्ट्रीयल हैल्पर	10 वी	18 से 45 वर्ष
10	मल्टीपरपस डोमेस्टिक इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग	10 वी	18 से 45 वर्ष
11	ए.सी./रेफ्रिजरेटर मरम्मत	10 वी	18 से 45 वर्ष
12	ब्यूटी पार्लर	5 वी	18 से 45 वर्ष
13	गारमेंट मेकिंग	5 वी	18 से 45 वर्ष
14	जरी कार्य	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
15	ड्रायवर ट्रेनिंग	5 वी	18 से 45 वर्ष
16	मोबाइल मरम्मत	10 वी	18 से 45 वर्ष
17	2 व्हीलर रिपेयरिंग	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
18	मेसन (स्किल अपग्रेडेशन हेतु)	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
19	सिलाई, कढाई	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
20	मोटर वाइडिंग	5 वी	18 से 45 वर्ष
21	घरेलू वायरिंग फिटिंग	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
22	प्लम्बर	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
23	कारपेन्टर	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
24	पी.ओ.पी. कार्य/टेराकोटा	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष
25	सेनेटरी नेपकीन निर्माण	5 वी	18 से 45 वर्ष
26	स्टील फैब्रिकेशन	अक्षर ज्ञान	18 से 45 वर्ष

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
भोपाल